राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2022 अपील

1. लाली बेवा जमना माली, निवासी रायला, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. प्रेमदेवी पिता जमना लाल माली, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. रामेश्वर पिता जमना लाल माली, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बबलु पुत्र जमना लाल माली, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. सीमा उर्फ लाड पुत्री जमना लाल माली, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. रामदेव पुत्र नन्दा खटीक, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पिता गोपाल लोहार, निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाड़ा

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार, बनेड़ा प्रकरण संख्या 01/2019 अन्तर्गत धारा 183 बी भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 02–12–2021
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार बनेडा के प्रकरण संख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 02.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार बनेड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिसमे अपीलार्थी के पिता जमना पिता उदा माली की आवंटित आराजी 4091/276 रकबा 5 बीघा भूमि की नपती की जावे एवं शेष जमीन पर कब्जा मुझ प्रार्थी को दिलाया जावे जबकि जमना लाल को वर्ष 1983 में ग्राम रायला के चक 276 में से 5 बीघा आवंटित होकर 40 वर्ष से कब्जा सिपुर्दगी दिनांक से काबिज होकर भूमि को बीड़ बंजर भूमि को सरसब्ज करथोर व पेड़ो से चारदिवारी से आवृत होकर एक चाह निर्माण कर सिंचाई का साधन बनाकर उपयोग उपभोग करता रहा है किन्तु 30 वर्ष बाद रेस्पोडेट्स संख्या 01 रामदेव ने इसी चक में आंवटन होना जाहीर किया एवं मौके पर्चे में 10 बिस्वा अपीलाण्ट्गण के पिता के पास होना अंकित किया, जो रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 को दे दिया एवं अपीलाण्ट्गण के पिता को नई तरमीम करवाने का आदेश दे दिया। उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में प्रकरण विचाराधीन है। अपीलाण्टगण के पिता ने अपने जीवन भर की कमाई से एक चाह निर्मित की जिसको लेने की बैगरज सेरेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 अपने आप को एस.सी./एस. टी. का सदस्य बताते हुये चाह का हड़पने की गरज से वर्तमान में विवादित आदेश दिनांक 02.12.2021 को बेदखल करने का आदेश जमनालाल की मृत्यु के पश्चात पिछली तारीख में करवाया है जिसमे तहसीलदार ने प्रस्तुत जवाब साक्ष्यों के बयान नक्शाट्रेश व एस.डी.ओ के यहां लम्बित प्रकरणों का ज्ञात होते हुए भी कथाकथित आदेश मनमकसुद ढंग से पारित किया है जिसमें अपने पद एवं क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया क्योकि नायब के पास तहसीलदार का चार्ज रहते हुए निर्णय लिखने का कोई अधिकार नही था। किसी भी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध बार–बार 183 बी की कार्यवाही नही की जा सकती है, जबकि अपीलाण्ट के पिता एवं अपीलाण्टगण पूर्व से ही काबिज है और न रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जा किया है। निर्णय दिनांक पिछली दिनांक में 02.12.2021 को जिसमे पूर्व फर्द अहकाम पर जमना के पुत्र के हस्ताक्षर करवाते रहे है जबकि जमना की मृत्यू पूर्व मे ही हो गई। उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने से प्रभावहीन है क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध कब्जा लेने का तहसीलदार बनेड़ा ने आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्टगण के पिता ने जो चाह निर्मित किया है उसकी साक्ष्य तहसीलदार को दिये जाने के पश्चात भी एवं अन्य साक्ष्य जो निर्माण कार्य मे सम्मिलित थे रिकार्ड साक्ष्य के विपरीत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्णय पारित किया जो विधि विरुद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। क्योंकि वर्ष 1988–1989 में जीवन धारा के तहत चाह में पैसा लगाया गया है जो कि पटवारी के द्वारा मेजरमेन्ट के जरिये भुगतान किया जाता था, जो मिस्ट्रोल चले जो अपीलार्थीगण के पिता के नाम से चले थे, जिस साक्ष्य का कोई ध्यान नही दिया एवं इसकी खातेदारी भूमि में से रेस्पोडेन्टगण रामदेव को कोई लेना देना नहीं है फिर भी जबरन चाह को हड़पने की गरज से उसके पास कब्जा गलत जगह होते हुए भी अपीलार्थीगण की आराजी में से 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि का आदेश पारित कर दिया है जो गलत है। प्रथम बार वर्ष 2011 में मौका पर्चा सरकारी नुमाईन्दे पटवारी की देखरेख मे बनाया जिसमे जबरन 10 बिस्वा अपीलाण्टगण की आराजी होना अंकित किया एवं दुसरी बार मौका पर्चा वर्ष 2015 में बनाया गया जिसमे 13 बिस्वा अपीलाण्टगण में अंकित किया गया उक्त मौका पर्चा में यह नहीं देखा गया कि रेस्पोडेन्ट्स रामदेव के पास कितनी भूमि है। जबकि रामदेव के आवंटन ही नही हुई है। तीसरी बार जो मौका पर्चा 23.04.2016 को भू–प्रबंध कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया मौके पर्चे मे यह अंकित किया कि मौके पर दूर दूर तक कोई मुश्तकिल निशानात नहीं है एवं मौके पर्चे के अन्तिम चरणों में इस प्रकार लिखा गया "उपरोक्त कार्य प्लेन टेबिल सर्वे व शिख्त अन्दाजी करते हुए किया गया।" जो विधि विरूद्ध है। पदेन तहसीलदार ने इसी मौके पर्चे को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित करने में विधिक भूल यह की है कि आज के युग में समस्त वैज्ञानिक उपकरण एवं पढ़े लिखे भू–प्रबंध में कर्मचारी होते हुए भी अन्दाजी के करते हुए कयास के आधार पर मौका पर्चा तैयार किया गया जो चलने योग्य नही है। राजस्व अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2019 को प्रकरण संख्या 23/2018 में अपने विस्तृत निर्णय में यह निर्देश किया कि 30 दिवस में सुनकर के सही निर्णय करे बाद दायर प्रकरण संख्या 160/2019 ए.डी.एम. बनेड़ा में प्रार्थीगण ने एक वर्ष पूर्व लिखित बहस देने तथा बार बार निवेदन करते पर भी पेशीया तब्दील की गई है इसी का अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से तहसीलदार ने यह लिखा कि उपरोक्त कितने भी प्रकरण जो अपर न्यायालय में लम्बित है जिनमे स्थगन नहीं है। जबकि 25.02.2019 से प्रमाणित फर्द अहकाम की नकले तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका वर्णन तहसीलदार के

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पक्षकारों की पूर्ण सुनवायी किये ही विधि विरूद्व तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजियात पर निर्णय पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं।

अतः प्रकरण में वरिष्ठ भू. अभि. निरीक्षक के निरीक्षण में कमेटी बनाकर, प्रश्नगत आराजियात के नक्शे के आधार पर, उभयपक्षों की आराजियात की, उभयपक्षों की उपस्थिति में पैमाईश की जाकर, मौका व वस्तु स्थिति की जानकारी मौतबिरानों की उपस्थिति में तस्दीक की जाकर, अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त ठहरता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार बनेडा के प्रकरण संख्या 01/2019 निर्णय दिनांक 02.12.2021 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार बनेडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में वरिष्ठ भू. अभि. निरीक्षक के निरीक्षण में कमेटी बनाकर, प्रश्नगत आराजियात के नक्शे के आधार पर, उभयपक्षों की आराजियात की, उभयपक्षों की उपस्थिति में पैमाईश की जाकर, मौका व वस्तु स्थिति की जानकारी मौतबिरानों की उपस्थिति में तस्दीक की जाकर, अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा